न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–टि.ए. 32/2018
पंजीयन दिनांक 21.06.2018

(1). उदयलाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). रामेश्वरलाल पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). मदनलाल पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी धनेतकलां तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). नगर विकास न्यास जरिये अध्यक्ष नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). नगर परीषद चित्तौड़गढ़ जरिये आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ़।
(3). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 58/2018 प्रार्थना–पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.05.2018

उपस्थित वक्त बहस–(1).छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2).खूमराज कुमावत–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पुष्पेन्द्र ओझा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2
(4). पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3

निर्णय

दिनांक 12.09.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्गण ने मूलवाद के साथ एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि मूलवाद ठोस आधारों पर आधारित होकर अवश्य ही स्वीकार होगा, परन्तु अन्तिम निस्तारण मे समय लगेगा। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि प्रार्थीगण मौजा धनेतकलां मे निवासरत है। प्रार्थीगण को काश्त हेतु कृषि भूमि की आवश्यकता होने से मौजा धनेतकलां की आराजी संख्या 1029 रकबा 0.79 हैक्टेयर जो कि बिलानाम सरकार दर्ज होकर मौके पर खाली पड़ी थी, जिस पर काबिज होकर उक्त भूमि को काश्त करने लायक बनाकर भू–प्रबन्ध से पूर्व ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थीगण के विरूद्ध विपक्षी संख्या 3 के द्वारा नियमित रूप से अतिक्रमण की कार्यवाही करते हुए पेनल्टी वसूल की जाती रही है, जो प्रार्थीगण की ओर से नियमित रूप से जमा करायी जा रही है। वर्तमान मे उक्त विवादित भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर आबादी मे दर्ज कर दी गई है, जबकि विवादित भूमि पर भू-प्रबन्ध से पूर्व ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमि अब राजस्व रेकॉर्ड मे विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है, और विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि को आवंटन करने पर आमादा है, जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो जाने से प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जा रहा है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है, ऐसे मे यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षीगण प्रार्थीगण के कब्जे की आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अन्त मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने व विवादित आराजीयात की मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे होना मानकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथावत स्थिति कायम रखे जाने हेतु विपक्षीगण को पाबंद किया जाने व उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने व दीगर को हस्तांतरित नहीं करने हेतु विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2018 को नियत की गई। दिनांक 30.05.2018 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति विपक्षीगण के पक्ष मे होना मानकर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रार्थीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलांटगण प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त होने से एवं नियमन योग्य होने से भू-प्रबन्ध से पूर्व ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सन् 1982-83 मे भू-प्रबन्ध के पश्चात उक्त आराजीयात के नवीन आराजी संख्या 1029 रकबा 0.79 हैक्टेयर कायम किया गया। भू-प्रबन्ध के पश्चात भी उक्त आराजीयात पर अपीलांटगण प्रार्थीगण काबिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है एवं अपीलांट्गण प्रार्थीगण के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा नियमित रूप से अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर पेनल्टी राशी वसूल की जाती रही है व अपीलांट्गण संयुक्त रूप से नियमित रूप से पेनल्टी राशी राज्य सरकार मे जमा कराते हुए उक्त आराजीयात पर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। फिर भी उक्त आराजीयात बिलानाम सरकार होने व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कार्यालय स्थापित कर सम्पूर्ण नगर क्षेत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिकार क्षेत्र मे देते हुए जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 03.05.2012 को उक्त भूमि गलत रूप से नगर परिषद चित्तौड़गढ़ व उसके पश्चात नगर विकास न्यास के नाम पर आबादी के रूप मे दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजीयात पूर्व मे बिलानाम भूमि होकर काबिज काश्त भूमि रही है जिस पर अपीलांट्गण प्रार्थीगण नियमित रूप से काबिज काश्त होने से अपीलांट्गण प्रार्थीगण उक्त कृषि आराजीयात के संबंध मे विपक्षीगण रेस्पोडेन्ट्गण के विरुद्ध घोषणात्मक डिक्री व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी होने से वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 12.04.2018 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.05.2018 वास्ते सुनवाई नियत की गई जिस पर उक्त तारीख पेशी को बिना जवाब के प्रकरण मे सुनवाई की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.04.2018 निरस्त किये जाने व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का विचारण किया जाकर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित रहता है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तीनो बिन्दुओं पर विचार किये बिना यह भी स्पष्ट अंकित नहीं किया कि अपीलांट्गण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र क्यों खारिज किया जाता है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पेराफेरी की भूमि है जो अपीलांट्गण प्रार्थीगण को आवंट्ित भी नहीं हुई है। साथ ही उक्त विवादित आराजीयात का नियमन भी नही किया जा सकता है। दिनांक 03.05.2012 को उक्त भूमि आबादी के रूप मे दर्ज कर दी गई। साथ ही अपीलांट्गण के पास सन् 1996 के पश्चात धारा-91 के नोटिस भी नहीं है जिससे अपीलांट्गण प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर सन् 1996 के पश्चात कोई कब्जा नहीं होना प्रमाणित होता है। साथ ही अपीलांट्गण प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर निरन्तर कब्जा नहीं रहा है। साथ ही उक्त आराजीयात की खसरा गिरदावरी भी नही है जिससे फसल बोया जाना प्रमाणित नहीं होता है। वादपत्र प्रस्तुत किये जाने के समय उक्त आराजीयात पर अपीलांट्गण प्रार्थीगण का कब्जा नहीं था। साथ ही अवैध कब्जे से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कोई अधिकार सृजित नहीं होता है। उक्त आराजीयात के अपीलांट्गण प्रार्थीगण खातेदार नहीं होकर वर्तमान मे उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट्गण प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2009-10(supp.) पेज 162, आर. आर.टी. 2009 पार्ट-2 पेज 1283 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट्गण प्रार्थीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 30.05.2018 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात जो कि वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। साथ ही अपीलांट्गण प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज काश्त होना व कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं है। वर्तमान मे उक्त आराजीयात राजकीय भूमि है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति विपक्षीगण के पक्ष मे होने सें एवं अपीलांट्गण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होने से निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण विपक्षीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 58/2018 निर्णय व आदेश दिनांक 30.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)